

Order No:- 461L/2020-21



केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मु.)  
18, संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली- 110016  
**KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN (HQ)**  
18, Institutional Area, S.J. Marg, New Delhi 110016.  
Tel.: 011-2695168, 8860748880  
Email- mpquota@kvs.gov.in  
Website: [www.kvsangathan.nic.in](http://www.kvsangathan.nic.in)

F. No.110331/03/2020-21/KVS(HQ)/Sp.Disp/MP (LS)

दिनांक- 25.08.2020

**सांसद संस्तुति पर प्रवेश आदेश**

माननीय सांसद **Shri Rajeshbhai Naranbhai Chudasama** के द्वारा के.वि.सं कूपन संख्या. 102 के माध्यम से की गई संस्तुति के आधार पर निम्न विद्यार्थियों को माननीय सांसद के लिए विशेष छूट प्रवेश योजना के अंतर्गत सत्र 2020-21 में प्रवेश दिया जाना अनुमोदित किया जाता है:-


S.N.	Name of the Child	Father's/Mother's Name (in Capital letter) and address with mobile No.	Class	Name of KV
1	NAITIK	PUNIT B. SHARMA, MOB- 9427502140, 8758007282	5	JUNAGADH
2	DHANVI	PUNIT B. SHARMA, MOB- 9427502140, 8758007282	3	JUNAGADH
3	HARMIT	KANABHAI D. DANGAR, MOB- 8866568345, 9712928345	6	JUNAGADH
4	AADI	DEVANG N. SATA, MOB- 9825597648	1	JUNAGADH
5	ANSH	DEVANG N. SATA, MOB- 9825597648	1	JUNAGADH
6	RUDRA	KETANBHAI DHONIYA (GHONIYA), MOB- 9724310184	1	JUNAGADH
7	RUHI	KETANBHAI DHONIYA (GHONIYA), MOB- 9724310184	1	JUNAGADH
8	VIYAN	VISHALBHAI V. LATHIYA, MOB- 9925184694	3	JUNAGADH
9	SRUSHTI	<b>INADMISSIBLE BECAUSE CLASS IS INVALID</b>		
10	HIRAL	<b>INADMISSIBLE BECAUSE CLASS IS INVALID</b>		

पत्रा 01/02

कृ. पृ. उ.

**निर्देश:-**

- (i) विद्यार्थी, अन्यथा के. वि. स. की वर्तमान प्रवेश दिशानिर्देशिका 2020-21 के अनुसार पात्र होना चाहिए ।
- (ii) इन प्रवेशों की संख्या कक्षा की नियत संख्या के ऊपर एवं अलावा (over and above) होगी। प्रवेश की अंतिम तिथि **31.08.2020** है।
- (iii) प्राचार्य, संबन्धित केन्द्रीय विद्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वे उपरोक्त विद्यार्थी के अभिभावकों को प्रवेश हेतु अविलम्ब सूचित करें।

  
संयुक्त आयुक्त (शैक्षिक)

**प्रतिलिपि:**

1. Shri Rajeshbhai Naranbhai Chudasama माननीय संसद सदस्य को ई. मेल से सादर सूचनार्थ।
2. उपायुक्त, के वि सं, AHMEDABAD संभाग को सूचनार्थ। (ई. मेल)
3. प्राचार्य- संबन्धित विद्यालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु। (ई. मेल)

